# संचिकास्त संचिकाओं की सूची–2012

## सितंबर–2012

# शिक्षा विभाग

| कम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02 / लोक(शिक्ष I)03 / 12 | प्रो. डा0 के.के मोहन्ती जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज को सेवान्त लाभ नहीं मिलने की शिकायत । | 24.09.2012 | राँची विश्वविद्यालय के कुलसचिव से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को उनके सभी सेवान्त लाभ का भुगतान कर दिया गया के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 2. | 02 / लोक(शिक्षा)14 / 11 | सेवानिवृत अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक–शिक्षेतर कर्मचारियों के 01.04.2007 से पूर्व की तरह सेवान्त लाभों के भुगतान कोषागार से करने के संबंध में। | 14.09.2012 | सचिव मानव संसाधन विकास विभाग झणरखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सेवानिवृत अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक–शिक्षेतर कर्मचारियों के सेवान्त लाभों के भुगतान पूर्व की भांती कोषागार से ही किया जा रहा है । उक्त रिपोर्ट के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नही है अतः परिवाद बन्द कर दिया गया। |
| 3. | 02 / लोक(शिक्षा)43 / 11 | सेवान्त लाभ नहीं मिलने के संबंध में श्री केश्वचन्द्र सिंह सेवानिवृत प्रधान लिपिक जे.वी.सी.+2 विद्यालय जामताड़ा का शिकायत । | 10.09.2012 | जिला शिक्षा अधीक्षक जाामताड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी को औपबंधिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटि का भुगतान कर दिया गया है तथा ए.सी.पी. की पुष्टि नहीं होने के कारण अंतिम पेशन एवं ग्रेच्यूटि का निर्धारण लम्बित है । उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 4. | 02 / लोक(शिक्षा)28 / 11 | श्री एयूब एक्का पति स्व0 ताग्रेन तिर्की भूतपूर्व शिक्षिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय कदमटोली, कुरडेग को संशोधित पारिवारिक पेंश्न का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में । | 10.09.2012 | जिला शिक्षा अधीक्षक सिमडेगा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में स्व0 एयूब एक्का के पारिवारिक पेशन उनके पुत्र विजय एक्का को भुगतान करने हेतु सुझाव महालेखाकार को प्रेषित किया जा चूका है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बनद कर दिया गया । |
| 5. | 02 / लोक(शिक्षा)08 / 11 | प्रखण्ड करौं ग्राम बेलेकियारी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के संचालन के लिए गठित ग्राम शिक्षा समिति | 10.09.2012 | परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाया गया तथा जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | के अध्यक्ष एवं सचिव के भ्रष्ट कृत्यों के संबंध में । | | परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया। |
| 6. | 01/लोक(शिक्षा)04/09 | सुश्री सिरिन एक्का सहायक शिक्षिका भारती मध्य विद्यालय , कदमा के अवैद्य वेतन भुगतान के संबंध में श्री बन्ना गुप्ता का शिकायत । | 12.09.2012 | जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप सही पाये जाने के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 7. | 01/लोक(शिक्षा)80/05 | श्री सुरेश तिवारी प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय महुगांवा चैनपुर पलामू एवं श्री श्यामानन्द दूबे क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी पलामू के विरूद्ध शिक्षको से घूस मांगने की शिकायत । | 11.09.2012 | जिला शिक्षा अधीक्षक पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को उनके उपार्जित अवकाश 219 दिन का भुगतान कर दिया गया तथा औपबंधिक पेंशन के अनुमोदन के लिए महालेखाकार को प्रेषित किया जा चूका है। उक्त के आलोक मे परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया। |
| 8. | 02/लोक(शिक्षा)17/11 | जिला शिक्षा अधीक्षाक हजारीबाग के अमर्यादितएवं नियम विरूद्ध आचरण के संबंध में मो0 अतिकुज्जमा का शिकायत । | 19.09.2012 | मार्कस कुजूर सरकार के संयुक्त सचिव के कथनानुसार आरोपी पदाधिकारी का स्थानान्तरण हजारीबाग से अन्यत्र कर दिया गया है तथा वह अभी जिला शिक्षा अधीक्षक के पद पर नहीं हैं । अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया । |

# राजस्व विभाग

| **क्रम सं0** | संचिका संख्या | **विषय** | **संचिकास्त की तिथि** | **अंतिम आदेश** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | 02/लोक(राजस्व)16/08 | स्व. महादेव पासवान, भूतपूर्व प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बोआरीजोर का समान्य भविष्यनिधि की राशि निकासी कार प्रखण्ड्ज विकास पदाधकारी द्वारा विगत एक साल से अपने सरकारी खाता में जमा कर रखने के संबध में महेश्वरी देवी विध्वा स्व. महादेव पासवान का परिवाद । | 07.09.2012 | उपायुक्त गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादीनी को उनके स्व0 पति के समान्य भविष्यनिधि के रू. 22067/—का भुगतान दिनांक 25.02.2008 को कर दिया गया। अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया । |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.** | 02 / लोक(राजस्व)01 / 08 | करोड़ो रूप्ये के सरकारी जमीन का अवैद्य खरीद बिक्री कराकर नमान्तरण द्वारा गलत जमाबन्दी खोलकर श्री रामानन्द विश्वकर्मा राजस्व कर्मचारी द्वारा घोटाला करने के संबंध में श्री जगनाथ सवैंया चाईबासा का शिकायत । | 25.09.2012 | केस की सुनवाई के दौरान भूमि सुधार अपर समाहर्ता चाईबासा द्वारा माननीय लोकायुक्त के न्यायालय में बताया गया के आरेपी लोक सेवको के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किया जा चुका है। अत': परिवाद पर अग्रतर कार्रवाइ की आवश्यकता नहीं हैं। |

# पुलिस विभाग

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | 01 / लोक(पुलिस)05 / 08 | वित्तीय वर्ष 2005–06 में मुख्य शीर्ष 2055 पुलिस 101 अपराधिक जाचं एंव सतर्कता 0001 अपराधिक जांच विभाग के अन्तर्गत (गुप्त ससेवा व्यय) इकाई में आवंटित आठ करोड़ रूप्ये की वित्तीय घोटाले संबंध में । | 10.09.2012 | माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी वाद पर पी.आई.एल. सं. 292 वर्ष 2010 को निरस्त कर दिया गया है साथ ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा सरकार के वाद का जांच सी.बी. आई से कराने के निर्णय पर रोक लगा दी गई है। अतः ऐसी दशा में इसी वाद पर पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| **2.** | 02 / लोक(पुलिस)21 / 11 | जिला एवं सत्र न्यायालय पाकुड़ के स्पेशल केस नं0 5 / 2007 के फरारी अभियुक्त की गिरफ्तारी के बजाय सम्मान एवं सुरक्षा प्रदान करने करेन के संबंध में । | 15.09.2012 | पुलिस अधीक्षक पाकुड़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कुर्की जब्ती के निष्पादन पर स्थगन आदेश परित किया गया है । अतः पुलिस अधीक्षक पाकुड के रिपोर्ट के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| **3.** | 02 / लोक(पुलिस)07 / 08 | श्री रामबचन राम,सहायक अवर निरीक्षक भूली ओ.पी. धनबाद द्वारा अकारण बच्चे को पकड़ कर हिरासत में रखना तथा अवैद्य रूप से पैसा लेकर छोड़न के संबध में । | 15.09.2012 | पुलिस अधीक्षक धनबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय कार्यवाही के प्श्चात आरोपित पुलिस अधिकारी के विरूद्ध आरोप सही नहीं पाया गया । इसी आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया । |
| **4.** | 02 / लोक(पुलिस)13 / 12 | रेल थाना काण्ड सं0 20 / 2009 गोमों में दर्ज परिवादी के एकलौते पुत्र प्रिंस जी की निर्मम हत्या की घटना | 17.09.2012 | परिवादी द्वारा इसी मामले को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दाखिल किय गया था जा माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है । अतः पुलिस उपाधीक्षक रेल पुलिस |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | को जी.आर.पी. एवं रेल पुलिस द्वारा दुर्घटना मानकर अब तक रेल पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के संबध में श्री कृष्णा जी अधिवक्ता का परिवाद। | | धनबाद के प्रतिवेदन को मंजूर करते हुए परिवाद को बन्द कर दिया गया । |

# पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

| कम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/लोक(पेय जल)02/09 | प्रमंडल पदाधिकारी जमशेद पुर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा श्री रामयाद सिंह सेवा निवृत सहायक यान्त्रिक अभियंता को पेंशन का भुगतान किये जाने के संबंध में । | 12.09.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 2. | 02/लोक(पी.एच.ई.डी) 29/05 | श्री नरायण लाल सेवानिवृत प्रारूपक पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चक्रधरपुर जिला पूर्वी सिंहभूम का वेतन निर्धारण एवं बकाया भुगतान के संबंध में । | 21.09.2012 | कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चक्रधरपुर जिला पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के वेतन का निर्धारण कर अनुमोदन हेतु महालेखाकार बिहार पटना को प्रेषित किया जा चूका है। उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

# ग्रामीण विकास विभाग

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02/लोक(ग्रा.वि.वि.)14/12 | वृद्धा पेंशन नहीं मिलने के संबंध में श्री नेमधारी साव , चतरा का शिकायत । | 15.09.2012 | अनुमंडल पदाधिकारी चतरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के के अनुसार परिवादी को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन की मंजूरी दे दिया गया। इसी आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया। |
| 2. | 02/लोक(ग्रा.अ.सं.) 03/08 | श्री अजबलाल सिंह पत्राचार लिपिक ग्रा. अभि. संगठन कार्य अंचल राँची द्वारा बिना हिन्दी परीक्षा तथा विभागीय लेखा परीक्षा पास किये वार्षिक वेतन वृद्धि तथा ए.सी.पी का लाभ लेने में धोखाधड़ी एवं छल का प्रयोग किये जाने के संबंध में परिवाद । | 07.09.2012 | मुख्य अभियंता सह विशेष सचिव ग्रामिण कार्य विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप निराधार है। अतः परिवाद पर अग्रतर कारवाई बन्द कर दिया गया । |
| 3. | 02/लोक(ग्रा.वि.वि)17/11 | ए.सी.पी. का लाभ नहीं मिलने पर श्री जयदेव सिंह बांका से प्राप्त शिकायत । | 12.09.2012 | उपायुक्त दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी को प्रथम एवं द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ देने का आदेश जिला स्थापना समिति के द्वारा दिया जा चुका है। उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 4. | 02/लोक(ग्रा.वि.वि.) 12/12 | वन प्रमंडल पदधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की मिली भगत से मनरेगा कार्यमें करोड़ों का गबन की जांच उच्च अधिकारीयों से कराने के संबंध में । | 06.09.2012 | ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा मनरेगा से संबंधित शिकायतो के निपटारे के लिए लोकपाल का गठन दिनांक 03.07.2012 के प्रभाव से कर दिया है। परिवाद पत्र तथा जांच प्रतिवेदन संबंधित लोकपाल दुमका जो साहेबगंज के प्रभार में भी हैं को प्रेषित करते परिवाद को बन्द कर दिया गया । |
| 5. | 02/लोक(ग्रा.वि.वि)04/12 | राँची जिला अन्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड के सहायता समूह गठन कार्य में भुगतान के संबंध में श्री राजकुमार मिश्र का शिकायत । | 21.09.2012 | उपायुक्त राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार पाया गया कि परिवादी द्वारा पुर्णतः एम0 ओ0 यू0 का उलंघन कर सहायता समूह का गठन किया गया था। उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 6. | 02/लोक(ग्रा.वि.वि.)07/12 | स्व0 रामतवक्य प्रसाद भूतपूर्व जनसेवक का बकाया राशि के भुगतान के संबंध में मोसमाज सत्यादेवी | 21.09.2012 | उपायुक्त गिरीडिह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परविादीनी के सभी वैद्यानिक देय पावनाओं का भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | से प्राप्त शिकायत । | | कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद बन्द कर दिया गया । |
| 7. | 02/लोक(ग्री.वि.वि.)07/11 | बोकारो जिला अन्तर्गत चन्दनकियारी प्रखण्ड में मनरेगा योजना के तहत अधिकारी द्वारा विभागीय अभिकर्ता के नाम पर सरकारी राशि के लूट के संबंध में । | 03.09.2012 | ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा मनरेगा से संबंधित शिकायतो के निपटारे के लिए लोकपाल का गठन दिनांक 03.07.2012 के प्रभाव से कर दिया है। परिवाद पत्र , सभी साक्ष्य, जांच प्रतिवेदन तथा माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश की प्रति संबंधित लोकपाल बोकारो को प्रेषित करते परिवाद को बन्द कर दिया गया । |

## पथ निर्माण विभाग

| कम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01/लोक(पथ)06/11 | श्री बी. के. राय कार्यपालक अभियंता एवं आर.ई.पी. गुमला पर योजना मद की राशिलम्बे समय तक व्यक्तिगत हित दुरूपयोग व गबन के संबंध में श्री शम्भू नाथ संह से प्राप्त शिकायत । | 18.09.2012 | मनरेगा लोकपाल का गठन सरकार द्वारा कर दिया गया है तथा यह कार्यरत है अतः परिवाद पत्र तथा जांच प्रतिवेदनो को मनरेगा लोकपाल चाईबासा जो गुमला के भी अतिरिक्त प्रभार मे हैं को प्रेषित करते हुए परिवाद को बन्द कर दिया गया। |

## खाद्य आपूर्ति विभाग

| कम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02/लोक(खाद्य)04/06 | श्री अर्जुन राम सेवानिवृत अनुसेवक का देय पेंशन एवं ए0 सी0 पी0 के भुगतान के संबंध में । | 10.09.2012 | परिवादी द्वारा पूर्व में ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था जिसके आदेश के आलोक में संबंधित विभाग द्वारा सभी देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। |

# स्वास्थ्य विभाग

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | 02/लोक(स्वा0)01/06 | राज्य बंटवारा के पूर्व के बकाया राशि के भुगतान के संबंध में श्री जफर आलम मल्लिक उप जिला प्रसार ण्वं मिडिया पदाधिकारी सदर अस्पताल (परिवार कल्याण) गिरिडीह का शिकायत । | 14.09.2012 | असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी को सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया है। अतः परिवादी के परिवाद का निराकरण के पश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाइ बन्द कर दिया गया । |
| **2.** | 01/लोक(स्वा0)04/11 | झारखण्ड सरकार के स्वा0 एवं परिवार कल्याण विभाग के औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 510(व) और 511(व) दिनांक 30.12.2010 में पक्षपात और प्रथम द्रष्ट्या भ्रष्टाचार के संबंध में । | 11.09.2012 | सचिव, स्वा0 विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय प्रक्रिया के तहत माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन के ष्चात अधिसूचना निर्गत किया गया है । अतः इस प्रतिवेदन को समुचित मानते हुए परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| **3.** | 02/लोक(स्वा0)16/11 | श्री दिनेश दयाल का सामान्य भविष्यनिधि लेखा सं. RNC/MED के लेखा संधारण के संबंधस में । | 21.09.2012 | प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ब्राम्बे से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी द्वारा संतोषजनक मंतब्य के आलोक में परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

# संख्यकि विभाग

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | 02/लोक(संख्याकि)01/06 | श्री योगेन्द्र सिंह संकल्क सेवानिवृत जिला संख्याकि कार्यालय हजारीबाग का अंतिम पेंशन एवं वरीय प्रवर कोटि प्रोन्नति के संबंध में । | 10.09.2012 | निदेशक सांख्यिकी निदेशालय झारखण्ड सरकार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को प्रवर कोटी में प्रोन्नति प्रदान कर दिया गया अतः द्वितीय ए.सी.पी. का लाभ देय नहीं है। इसी आलोक में परिवाद बन्द कर दिया गया । |

# निबंधन विभाग

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02 / लोक(निबंधन)01 / 11 | श्री महेन्द्र सिंह, सेवा निवृत स्थायी लिपिक जिला अवरा निबंधक कार्यालय गिरीडिह के वृति उन्नयन लाभ के संबंध में । | 20.09.2012 | सचिव निबंधन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी को प्रथम ए.सी.पी का लाभ सन 1996 में दस वर्षों की अटुट सेवा पुरा करने के पश्चात दिया गया परन्तु दुसरी ए.सी.पी अनुमान्य नहीं है क्योकि वह 20 वर्षों की अटुट सेवा पुरा नहीं किया है।उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाइ बन्द कर दिया गया । |

# वन विभाग

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01 / लोक(वन)01 / 12 | गुमला वन प्रमंडल के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री एस. के. गुप्ता भा. व. सेवा द्वारा जलछाजन कैम्प योजना के तहत विभिन्न कार्यों पर व्यापक आर्थिक अनियमितता बरतने के संबंध में श्री विजय शंकर नायक का शिकायत । | 15.09.2012 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप निराधार पाये जाने तथा परिवादी द्वारा अपने मंतब्य में कार्य संतोषप्रद होने के उल्लेख के आधार पर परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दियरा गया । |
| 2. | 02 / लोक(वन)04 / 09 | वन विभाग, पुलिस विभाग,और सफेद पोशो के सांठ–गांठ से विभिन्न क्षेत्रों में जंगल की काटे जाने अतिक्रमण हटाने में भेद–भाव किये जाने तथा सार्वजनिक पार्क, झिल /तलाब की बन्दोबस्ती रद्द कर आम जनता के लिए निःशुल्क खोले जाने के संबंध में मो0 सज्जाद खान मेन रोड राँची का परिवाद । | 21.09.2012 | परिवाद किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा परिवादी के नाम से दाखिल किया गया था। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की अवश्यकता नहीं है। परिवाद निरस्त कर दिया गया । |

# विद्युत विभाग

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02/लोक(विद्युत) 03/11 | तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड में संविदा के आधार पर विभिन्न पदो पर नियुक्ति एवं सामग्रियों (डिजल) के क्रय के दौरान हुए वित्तीय अनियमितता के संबंध में शिकायत । | 01.10.2012 | प्रबंध निदेशक तेनुघाट विद्युत निगम से प्राप्त विस्तृत एवं संतोषप्रद प्रतिवेदन के आलोक में निगम द्वारा किये गये नियुक्तियां एव क्रय किये गये सामग्रि को नितिसंगत बताया गया हैं परिवादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को निराधार बताया है । अतः परिवाद को निरस्त करते हुए आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

# कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01/लोक(स.क.)04/11 | राँची जिला के थाना–सिल्ली, पो.–टुटकी, नवाडीह अन्तर्गत ग्राम– चोकेसेरेंग आंगनबाड़ी केन्द्र में सेविका चयन में हुए अनियमितता के संबंध में। | 11.09.2012 | मामले का निपटारा उपायुक्त राँची के स्तर से कर दिया गया है। अतः उपायुक्त राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

# विविध

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02/लोक(विविध)05/11 | श्री मानदेव सिंह, सेवानिवृत प्रधान सहायक दुमका द्वारा बकाये भुगतान से संबंधित शिकायत । | 15.09.2012 | निदेशक सह विशेष सचिव पंचायती राज झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवदेन के अनुसार परिवादी के बकाया राशि का भुगतान कर दिया है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 02 / लोक(विविध)01 / 12 | के.सी.सी ऋण एवं किसान जीवन बिमा योजना में शाख प्रबंधक बैंक ऑफ इन्डिया हिरोडिह द्वारा व्यक्तिगत दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य करने के संबंध में । | 20.09.2012 | उपायुक्त गिरीडिह से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार पाये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

# नगर विकास विभाग

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01 / लोक(न.वि.वि.)02 / 12 | श्रीमती अमिता रक्षित, अध्यक्ष दुमका नगर परिषद द्वारा वित्तीय अनियमितता उजागर होने पर एफ.आई.आर. की अनुशंसा के बावजूद एफ.आई.आर दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में । | 15.09.2012 | सरकार के सचिव से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें पूर्व में ही विभागीय सचिव द्वारा जांचोपरान्त सरकार द्वारा परिवाद को बन्द कर दिया गया का उल्लेख किया गया है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 2. | 02 / लोक(न.वि.वि)44 / 09 | माडा द्वारा अवैद्य एवं अनाधिकृत ढंग से भवन स्वीकृति का आदेश निर्गत कर सरकारी सम्पति , सड़क, गली, नाली, इत्यादि का अतिक्रमण तथा विकास के नाम पर वसूल किये गये पैसों का दुरूपयोग करने के संबंध में । | 13.09.2012 | सचिव नगर विकास विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 3. | 02 / लोक(न0वि0वि0)255 / 05 | पेंशन का भुगतान एवं बेटे को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पर रखने के संबंध में विगनी देवी हजारीबाग का शिकायत । | 21.09.2012 | कार्यपालक पदाधिकारी हजारीबाग नगर निगम के प्रतिवेदन के अलोक में परिवादीनी को उनक पति के मृत्यु सह सेवानिवृत देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

# पथ परिवहन विभाग

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02/लोक(पथ परिवहन)02/09 | श्री वंशीधर दास, सेवानिवृत हेल्पर राज्य पथ परिवहन दुमका प्रमंडल को सेवानिवृत लाभ की कोई भी राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में परिवाद। | 14.09.2012 | संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को देय पावनाओं का कुछ भाग का भुगतान कर दिया गया है परन्तु ग्रेच्यूटि का भुगतान उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलने के कारण लम्बित है। उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

# विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग

| क्रम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01/लोक(वि.एवं.प्रा.)01/12 | डॉ. अरूण कुमार निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग झारखण्ड सरकार के द्वारा राज्य सरकार के वित्तीय नियमावली की अहवेलना कर बिना किसी सरकारी अधिसूचना के बरती गई घोर भ्रष्टाचार के संबंध में श्री गिरधारी महतो का शिकायत । | 13.09.2012 | परिवादी द्वारा इसी मामले पर झारखण्ड उच्च न्यायालय में पूर्व में ही वाद दाखिल किया गया है जो लम्बित है तथा परिवादी द्वारा केस वापसी के लिखित याचना के पश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

# शिकायत /परिवाद

## सितंबर, 2012

| कम सं0 | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शिकायत सं. 608/12 | एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सफाई के निविदा में अनियमितता की जांच के संबंध में श्री विन्दु कुमार सिंह जमशेदपुर का शिकायत । | 05.09.2012 | शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को निरसत कर दिया गया । |
| 2. | शिकायत सं. 584/12 | श्री अजहरूल हक वनपाल बुण्डु को गलत आरोप लगाकर वन संरक्षक राजकीय व्यपार अंचल राँची द्वारा सुनियोजित तरिके से श्री ऐस्दर कुजूर वनपाल को पदस्थापित करने के लिए निलंबित किया गया के संबंध में । | 11.09.2012 | यह शिकायत निलंबन तथा पदस्थापन से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया। |
| 3. | शिकायत सं. 587/12 | सेवा निवत पावनाओं एवं पूर्व के पावनाओं का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी श्री भारती प्रासाद रॉय का शिकायत । | 14.09.2012 | यह शिकायत सरकार के नितिगत फैसले से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001के तहत पोषणीय नहीं है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 4. | शिकायत सं0 504/12 | मुख्य सूचना आयुक्त झारखण्ड राँची के द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध कराये बगैर वाद को बन्द कर देने के संबंध में शिकायत । | 10.09.2012 | सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से संबंधित शिकायत का उपचार स्वयं सूचना के अधिकार अधिनियम में व्याप्त है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है । |
| 5. | शिकायत सं0 413/2012 | फर्जी तरिके से श्री सुरेश प्रसाद , प्रमंडलीय अग्निशामन पदाधिकारी झारखण्ड द्वारा अपने भतीजा को फायर मेन के पद पर बहाल करने के संबंध में । | 10.09.2012 | नियुक्ति से संबंधित मामले झाररखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते है। संबंधित मामला पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया । |
| 6. | शिकायत सं0 631/11 | बाऊ झा पत्राचार लिपिक पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल मधुपुर झारखण्ड का पंचम वेतन निर्धारण एवं सेवान्त लाभ के संदर्भ में । | 03.09.2012 | परिवादी द्वारा अपने परिवाद के निराकरण के लिये इच्छाशक्ति के अभाव के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा संबंधि तमामले पर अग्रतर कार्रवाई |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | बन्द कर दिया गया । |
| 7. | शिकायत सं0 486/12 | अड़गोरा थाना काण्ड सं0 328/2010 में अभियुक्तों को बचाने के संबंध में पुलिस के विरूद्ध खुर्शीद आलम का शिकायत । | 10.09.2012 | अड़गोरा थाना काण्ड सं0 328/2010 में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है तथा मामला न्यायालय में लम्बित है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। |
| 8. | शिकायत सं. 582/12 | फागु साहु एवं अन्य के द्वारा परिवादी श्री हेमलाल साहु का चल अचल संपति हड़पने के उद्देश्य से गाली गलौज करने एवं धमकी देने के संबध में। | 12.09.2012 | परिवाद दो लोगो का आपसी विवाद से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायत पत्र को निरसत कर दिया गया । |
| 9. | शिकायत सं0 147/12 | सुभाष दासकी निर्मम हत्या का करौ थाना काण्ड सं0 12/2012 दर्ज होने के बाद भी अभियुक्तो पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबध में आशा देवी का शिकायत । | 12.09.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 10. | शिकायत सं0 595/12 | गिरीडिह थाना काण्ड सं0 129/2012 के आरोपीयों को पुलिस द्वारा छोड़ने देने के संबंध में श्री सुरेश प्रसाद का शिकायत । | 15.09.2012 | यह मामला सक्षम न्यायालय में लम्बित है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। |
| 11. | शिकायत सं0 598/12 | श्री शरदेन्दु नरायाण को गलत तरिके से अभियंता प्रमुख के पद पर प्रोन्नति देने संबंधि श्री सुनिल कुमार का शिकायत । | 11.09.2012 | प्रोन्नति से संबंधित मामले झाररखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते है। संबंधित मामला पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया । |
| 12. | शिकायत सं0 592/12 | बोकारो स्टील सिटी का सेक्टर 8 डी. क्वाटर खाली कराने में हरला थान द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्रीमती झुनुवा देवी का शिकायत । | 11.09.2012 | यह परिवाद बोकारो स्टील कारखाना से संबंधित है जो केन्द्र सरकार को लोक उपक्रम है । अतः इस प्रकोर के मामले जो केन्द्र सरकार से संबंधित है झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते है। परिवाद को निरस्त कर दिया गया। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | शिकायत सं. 583 / 12 | श्री के.एन. ठाकुर (भारतीय वन सेवा) वन संरक्षक राजकीय व्यापार अंचल राँची द्वारा किये जा रहे अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के संबंध में श्री विजय शंकर नायक का शिकायत । | 25.09.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 14. | शिकायत सं. 140 / 12 | फर्जी एम.बी.बी.एस. बोर्ड लगाकर निम हकीम डॉक्टरो द्वारा प्रेक्टिस कर ग्रामीण जनता को जान माल की हानि पहुँचाने के संबंध में। | 25.09.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 15. | शिकायत सं0 593 / 12 | बोकारो जे.पी. सिमेन्ट लिमिटेड द्वारा जमीन हड़पे के संबंध में श्री अर्जुन महतो, तुपकाडीह बोकारो का शिकायत । | 25.09.2012 | परिवाद जिला एवं सत्र न्यायालय हजारीबाग में लम्बित रहने के कारण परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 16. | शिकायत सं0 605 / 12 | राजकीय महिला पॉलटेक्निक थरपखना में सेवा नियमितिकरण एवं वेतन देने के संबंध में निलम कुमारी , राँची का शिकायत । | 28.09.2012 | इस प्रकार के परिवाद जो सेवा शर्त से संबंधित है झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 17. | शिकायत सं0 371 / 12 | श्री प्रसुन कुमार चन्द्ररा कार्यपालक अभियंता पशुपालन एवं मत्स्य विभाग झारखण्ड एवं उप निदेशक (वर्क्स एवं प्लान्ट) बी.ए.यू. कांके के द्वारा कुछ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को लाभ पहुँचाने के संबंध में । | 07.09.2012 | गलत व्यक्ति द्वारा गलत पता देकर शिकायत करने के कारण परिवाद को निरस्त करते हुए बन्द कर दिया गया । |
| 18. | शिकायत सं0 549 / 12 | पूर्वी सिंहभूम जिला के प्राथमिक शिक्षको के स्थानान्तरण के संबंध में । | 15.09.2012 | इस प्रकार के परिवाद जो सेवा शर्त एवं स्थानान्तरण से संबंधित है झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 19. | शिकायत सं0 404 / 12 | श्री सुशील कुमार जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम द्वारा मकान भत्ता की अवैद्य निकासी की स्वीकृति देने के संबेंध में श्री शशिभूषण कुमार का शिकायत । | 10.09.2012 | इस प्रकार के परिवाद जो सेवा शर्त से संबंधित है झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20. | शिकायत सं0 615 / 12 | श्री शिवकुमार दास प्रधानाचार्य, आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय पथरगामा, बालक, गोड्डा पर विद्यालय भूमि परलगे वृक्ष को बिना अनुमति के कटवाने के संबंध में श्री अवनी कुमार का शिकायत । | 28.09.2012 | परिवादी द्वारा पूर्व में इसी मामल पर पथरगामा पुलिस थाने में केस दर्ज कराया जा चूका है। परिवादी का शिकायत जल्दबाजी में किया गया है। अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया । |
| 21. | शिकायत सं. 513 / 12 | श्रद्धानन्द सेवाश्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय में अनियमितता की जांच के संबंध में श्री संजय चौधरी का शिकायत । | 24.09.2012 | सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से संबंधित शिकायत का उपचार स्वयं सूचना के अधिकार अधिनियम में व्याप्त है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है । |
| 22. | शिकायत सं0 293 / 12 | राजकीयकृत कबीरिया उर्दू उच्च विद्यालय धकतीडीह, जमशेदपुर में निजी महाविद्यालय द्वारा अवैद्य कब्जा किये जाने के संबध में श्री सैयद मो0 अकबर, प्राचार्य का शिकायत । | 20.09.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 23. | शिकायत सं0 45 / 12 | प्रो0 मो0 इब्राहिमुद्दिन रामगढ़ कॉलेज पर फर्जी तरीके से नियुक्ति /प्रोन्नति पाने के संबंध में श्री एस.के. झा हजारीबाग का शिकायत । | 20.09.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 24. | शिकायत सं0 508 / 12 | भू– माफियाओं द्वारा जमीन पर अवैद्य कब्जा करने के संबंध तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबध में श्री तालेश्वर साव का शिकायत। | 21.09.2012 | परिवाद दो लोगो का आपसी विवाद से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायत पत्र को निरसत कर दिया गया । |
| 25. | शिकायत सं0 518 / 12 | जमीन पर कब्जा करने के संबंध में श्रीमती रेखा देवी का शिकायत । | 21.09.2012 | परिवाद दो लोगो का आपसी विवाद से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायत पत्र को निरसत कर दिया गया । |
| 26. | शिकायत सं0 573 / 12 | ग्राम पंचायत पटवाबाद जिला देवघर के उपमुखिया के चयन में पदाधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध में सरफराज आलम का शिकायत । | 11.09.2012 | यह शिाकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। |
| 27. | शिकायत सं0 519 / 12 | जिला कल्याण कार्यालय गिरिडीह द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति मे अनियमितता किये जाने के संबंध में सम्राट अनन्त का शिकायत । | 24.09.2012 | इस प्रकार के परिवाद जो नियुक्ति से संबंधित है झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | बन्द कर दिया गया । |
| 28. | शिकायत सं0 585 / 11 | जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम के परिसर में बने दुकान सं0 10 पर अवैद्य कब्जा के संबंध में श्री बालभूषण मिश्र का शिकायत । | 24.09.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 29. | शिकायत सं0 544 / 12 | पेशान भुगतान के आभाव में भुखमरी के कागार पर पहुँच जाने के संबंध में शिकायत । | 17.09.2012 | यह परिवाद महालेखाकार झारखण्ड राँची से संबंधित है जो केन्द्र सरकार का कार्यालय है । अतः इस प्रकोर के मामले जो केन्द्र सरकार से संबंधित है झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते है। परिवाद को निरस्त कर दिया गया। |
| 30. | शिकायत सं0 580 / 12 | वर्ष 2008 में नरेगा योजना में मजदूरी का ाुगतान नहीं करने के संबंध में श्री शशि दास का शिकायत । | 06.09.2012 | ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा मनरेगा से संबंधित शिकायतो के निपटारे के लिए लोकपाल का गठन दिनांक 03.07.2012 के प्रभाव से कर दिया है। परिवाद पत्र संबंधित लोकपाल हजारीबाग जो देवघर के प्रभार में भी हैं को प्रेषित करते परिवाद को बन्द कर दिया गया । |
| 31. | शिकायत सं. 641 / 12 | सूचना का अधिकार अधिनियम 205 का समयक अनुपालन न होने के संबंध में श्री विश्वनाथ उपाध्याय गिरिडीह का शिकायत । | 21.09.2012 | सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से संबंधित शिकायत का उपचार स्वयं सूचना के अधिकार अधिनियम में व्याप्त है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है । |